करम मुकदमा.. न.. सन्...

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24-10-19	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली मे निर्णय नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते निर्णय मे दि 6-11-19 को पेश हो। [signature]	
6/11/19.	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप० । वाद वादी का अ० धा० 88-89 राज० का० स्वीकार किया जाकर तथा अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम कैरपुरा के खाता सं० 116 व 117 एवं ग्राम देवखेड़ा के खाता सं० 166 में वादीगण के परिवार के साथ साथ अब जब जोधा पिता देवा का नाम निरस्त कर जोधा पुत्र चुन्नीलाल रखने की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नियम से दाखिल हो। [signature] 6/11/19	कास-/सरिश्ता 433 दि-13-11-19

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज॰

(पीठासीन अधिकारी– रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.)

दावा संख्या 08/2015

1. जगन्नाथ पिता देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
2. बेणा पिता देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
3. हरकुबाई बेवा हजारी जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
4. मांगीलाल पिता हजारी जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
5. रामचन्द्र पिता हजारी जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
6. रामपाल पिता कालू जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
7. सुशीला पुत्री कालू जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
8. प्रेमबाई पत्नी कालू जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
9. नानीबाई पुत्री देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
10. फेफीबाई पुत्री देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ

.........वादीगण

बनाम

1. जोधा मुतबन्ना (गोदपुत्र) चुन्नीलाल जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
2. मुसम्मात जेतीबाई बेवा चुन्नीलाल जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
3. श्यामलाल पिता अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
4. प्रभुलाल पिता अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
5. मुसम्मात दाखी बेवा अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
6. मुसम्मात डालीबाई पुत्री अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
7. प्यारचन्द पिता कानाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
8. तहसीलदार भूमिधारी जी तहसील बेगूँ
9. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान् कलेक्टर सा0 जिला चित्तौड़गढ

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री फरीद मोहम्मद मिर्जा
अभिभाषक वादीगण
श्री आई.एम.अजमेरी
अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 06.11.2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र वादी का अधिवक्ता श्री फरीद मोहम्मद मिर्जा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो में इस प्रकार हैं– वादीगण पुश्तेनी ग्राम केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा तहसील बेगूँ के निवासी होकर अपनी कृषि भूमि पर सद्भावी कृषक के रूप में कार्य कर रहे है, हमारा वंशवृक्ष (सजरा) इस प्रकार हैः–

उक्त वर्णित सजरा अनुसार हम वादीगण सभी, मृतक देवा पिता भूदर जी बलाई निवासी केरपुरा की संतान एवं वंशज है। हमारे परिवार में से श्री जोधा पिता देवा जी बलाई जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20.11.2008 को

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

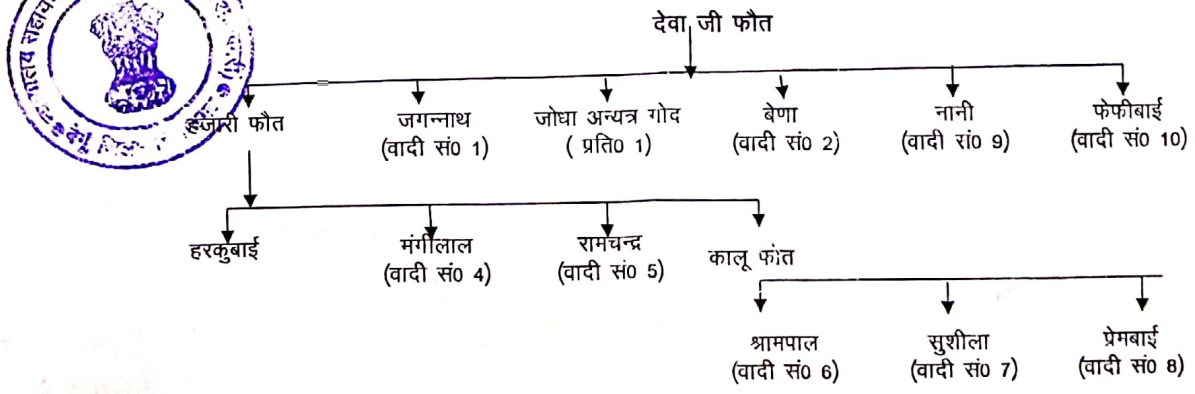

Scanned by CamScanner

जेतीबाई व प्यारीबाई दोनों विधवा चुन्नीलाल जी बलाई निवासी केरपुरा के द्वारा दत्तक पुत्र बनाने से हमारे खानदान (परिवार) का सदस्य कानूनी व सामाजिक रूप से नही रहा हैं। वादीगण कि कृषि भूमि अन्य सहखातेदारान के रूप में इस प्रकार से है–ग्राम केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा जमाबंदी विक्रम संवत 2068–71 अुनसार खतोनी संख्या 116 खसरा संख्या 133 रकबा 0.0200 है0 आराजी चाह(कुआ) जिससे हमारे परिवार हक पिलाई दर्ज हैं साथ ही जेतीबाई, प्यारीबाई, पत्नियाँ चुन्नीलाल जी के भी हक पिलाई दर्ज हैं। इंतकाल संख्या 496 नि0 दिनांक 05.11.2014 विरासत व गोदनामा से चुन्नीलाल कि एक पत्नी प्यारी के मृत्यु से उसके बजाय जोधा गोदपुत्र चुन्नीलाल का दर्ज रिकार्ड हुआ हैं एवं हमारे परिवार के व्यक्तिओं में भी जोधा दर्ज हैं जो अवैध है जोधा, जेती प्रतिवादी संख्या 1व 2 हैं। खाता संख्या 117 जमाबंदी संवत् 2068--71 के खसरा संख्या 137,139,141 में हमारे परिवार के सदस्यों के साथ नामान्तरण संख्या 410 निर्णित दिनांक 28.07.2011 से जोधा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो गलत हैं। ग्राम देवलच्छ के खाता संख्या 166 चालु रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के परिवार का 1/2, प्रतिवादी सं0 3 से 7 तक का 1/2 हक हैं। प्रतिवादी जोधा का नाम खातेदार कि हेसियत से वादीगण के परिवार में अंकित हैं, जो गोदनशीनी के बाद गैरकानूनी हैं। इन्तकाल संख्या 496 स्पष्ट है। ग्राम कैरपुरा के खाता संख्या 116,117 व ग्राम देवलच्छ के खाता संख्या 166 में प्रतिवादी संख्या 1 जोधा जो हमारे परिवार का सदस्य था, प्रतिवादी संख्या 2 के परिवार में गोद लिये जाने से हमारे परिवार व हमारे परिवार कि कृषि सम्पत्ति भूमि से कोई सम्बन्ध नही रहा हैं, नामान्तरण संख्या 496 निर्णय दिनांक 05.11.2014 से सुस्पष्ट है। प्रतिवादी संख्या 1 जोधा रेवन्यु रिकार्ड केरपुरा व देवलच्छ के उपरोक्त खातो में दोनो जगह अपना नाम रखकर दो घोडो पर सवारी कर रहा हैं। हिन्दु विधि विधान से गोदपुत्र दोनों परिवार से लाभ नहीं ले सकता है। जोधा गोदपुत्र बनने के पश्चात जोधा पिता देवा नही रहकर जोधा मुतबन्ना (गोदपुत्र) चुन्नीलाल ही के नाम से जाना जाकर चुन्नीलाल के परिवार कि सम्पत्ति का मालिक है जो वह उपयोग उपभोग कर रहा हैं। वादीगण ने प्रतिवादी जोधा एवं उसकी गोद माता जेतीबाई, (प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2) को जोधा पिता देवा का नाम हटवाने के लिए कहा तो उन्होने कोई सुनवाई नही की। इस संबंध में पटवार हल्का रेवन्यु इन्सपेक्टर से भी कई मर्तबा प्रार्थना की परन्तु कोई सुनवाई नही होने से यह घोषणात्मक वाद प्रस्तत किया है, जिसके हम अधिकारी हैं। अतः वादीगण निम्न अनुतोष कि प्रार्थना करते है–

1. वाद वादीगण का स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम केरपुरा के वर्तमान जमाबंदी विक्रम संवत् 2068 –2071 कि खतौनी संख्या 116, 117 में इंतकाल संख्या 496 खुलने के पश्चात जहाँ–जहाँ रेवन्यू रिकार्ड में जोधा पिता देवा का नाम आया है, निरस्त फरमाने कि घोषणा फरमाई जावे । ग्राम देवलच्छ कि जमाबंदी विक्रम संवत् 2067–2070 कि खतौनी संख्या 166 में वादीगण के परिवार के साथ जोधा पिता देवा के रूप में अंकित नाम को निरस्त फरमा जोधा गोदपुत्र चुन्नीलाल ही रखने कि घोषणा फरमाई जावें।
2. हर्जा खर्चा वाद अभिभाषक शुल्क आदि प्रतिवादी जोधा से वादीगण को दिलाया जावें।
3. अन्य कोई वाद मुप्रिद बहक वादीगण प्राप्त हो सकती हो वादीगण को प्रदान कराई जावें

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 कि ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री एस.सी. टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 कि ओर से अधिवक्ता श्री आई.एम.अजमेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने " **no instruction** " किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से तथा प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही होने से उनका जवाबदावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 एवं 9 कि ओर से जवाब दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि " रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20.11.2008 के आधार पर खातेदार प्यारी बेवा चुन्नीलाल की मृत्यु उपरान्त विरासत व गोदनामा के आधार पर ग्राम केरपुरा का नामान्तरकरण 496 दिनांक 05.11.2014 से श्री जोधा पिता देवा बलाई, जोधा गोदपुत्र चुन्नीलाल बलाई, वारिस के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है, जो उक्त दस्तावेज से गोदजाना सिद्ध होता है। पेतृक सम्पत्ति में गोद जाने वाले व्यक्ति का नाम रखा जाना अथवा नही रखा जाना श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। " तत्पश्चात पत्रावली में तपकी पत्र कायम किया गया जो निम्नानुसार है–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आया मोजा केरपुरा के खाता संख्या 116व 117 में इंतकाल संख्या 496 खुलने के पश्चात भी जहां जहां रेवेन्यु रेकार्ड में वादीगण के परिवार से जोधा पिता देवा का नाम आया है उसे निरस्त कराने व ग्राम देवलच्छ में भी वादीगण के परिवार के साथ आए खाता संख्या 166 में वादीगण के परिवार के साथ जोधा पिता देवा के रूप में अंकित नाम को भी निरस्त कराने एंव उसे जोधा गोदपुत्र चुन्नीलाल ही रखे जाने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है? वादीगण

आया कि रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20.11.2008 के आधार पर खातेदार प्यारी बेवा चुन्नीलाल की मृत्यु उपरान्त विरासत व गोदनामा के आधार पर ग्राम केरपुरा का नामान्तरकरण 496 दिनांक 05.11.2014 से श्री जोधा पिता देवा बलाई, जोधा गोदपुत्र चुन्नीलाल बलाई, वारिस के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है, जो उक्त दस्तावेज से गोदजाना सिद्ध होता है? प्रतिवादीगण 8व 9

तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी में रामचन्द्र पिता हजारी, बेणा पिता देवा, अमरचन्द पिता हीरालाल द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किए गये बयान लेख बद्ध किये गये। पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

बहस में वादी अधिवक्ता श्री फरीद मोहम्मद मिर्जा एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री आई एम अजमेरी उपस्थित आए। वादी अधिवक्ता ने वाद वादी का वादपत्रानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादी अधिवक्ता भी इस पर सहमत हुए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं कि बहस पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली व प्रस्तूत किये गये दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम केरपुरा पटवार हलका केरपुरा तहसील बगूँ देवाजी के सजरे के अनुसार वारिसान हजारी, जगन्नाथ, जोधा, वेणा, नानी व फेफी बाई है। देवा के पूत्र जोधा जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा दिनांक 20.11.2008 को जेतीबाई व प्यारी बाई दोनों विधवा चुन्नीलाल बलाई निवासी केरपुरा द्वक्षरा दत्तक पूत्र बना लिया है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रदर्श की गई जमाबंदी 2068–71 खाता संख्या 116 में नामान्तरण संख्या 496 दिनांक 05.11.2014 को विरासत व गोदनामा से श्री प्यारी बेवा चुन्नीलाल बलाई की बजाय जोधा गोद पूत्र चुन्नीलाल बलाई के नाम दर्ज हुई। उसी जमाबंदी में खाता संख्या 116 में श्री हजारी, जगन्नाथ ,जोधा, वेणा पिता देवा का नाम दर्ज है। अर्थात जोधा का नाम जमाबंदी पैतृक संपत्ति में व गोद जाने के बाद वहॉ से मिली संपत्ति दोनों में दर्ज है। नामान्तरण संख्या 496 जो प्रदर्श–4 है का अवलोकन किया जिसमें " जेती प्यारी बेवा चुन्नीलाल बलाई " के स्थान पर रजिस्टर्ड गोदनामा पंजीयन कमांक 07/2008 दिनांक 20.11.2008 के आधार पर प्यारी बाई बेवा चुन्नीलाल फौत होने के कारण " जेती बेवा चुन्नीलाल , जोधा गोदपूत्र चुन्नीलाल बलाई" के नाम दर्ज हु ई। हमने रजि रजिस्टर्ड वसीयतनामा जो प्रदर्श– 5 है उसका भी अवलोकन किया जिसमें जेती व प्यारी बेवा चुन्नीलाल जाति बलाई ने जोधा पिता देवा बलाई को गोद रखा। यह वसीयतनामा कमांक 7/2008 को पंजीयन हुआ।

हमने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार " गोद प्रमाणित हो जाने के पश्चात वो व्यक्ति उस परिवार का इसी प्रकार सदस्य माना जायेगा जैसे उसका जन्म उसी परिवार में हुआ है। गोद लेने वाले म ाता–पिता गोद के पश्चात उस व्यक्ति को गोद के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। परिवार में जन्में व्यक्ति की तरह ही अधिकार उसके रहेगें वो अधिकार कभी समाप्त नहीं होगें। गोद लेने का असर यह होता है कि वो अपने गोद देने वाले अर्थात नैसर्गिक पिता की संपत्ति से अधिकार समाप्त कर देता है।

सम्पूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेजों का अध्ययन के साथ बहस तर्को पर मनन किया गया। एवं तनकीवार निर्णय निम्नलिखित है:–

1– <u>तनकी नम्बर–1</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। हमने सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया जो वादी द्वारा प्रदर्श कराए गये थे। जमाबंदी खाता संख्या 116 व 117 जिसमें जोधा पिता (प्राकृतिक) देवा का नाम जमाबंदी में जोधा पिता देवा के रूप में भी जमाबंदी में दर्ज है, साथ ही हमने नामान्तरण संख्या 496 जो वादी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रदर्श कराया गया जिसमें जोधा मुतबन्ना चुन्नीलाल के नाम रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा नामान्तरण भरा गया। अर्थात जोधा मुतबन्ना चुन्नीलाल के रूप में जमाबंदी में उसका नाम आ जाने एवं रजिस्टर्ड गोदनामा का अध्ययन करने के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार गोद चले जाने के बाद गोद जाने वाले पिता की संपत्ति में उसका अधिकार रहता है, जबकि जिसने गोद दिया है उसकी संमपत्ति में अधिकार समाप्त हो जाते है। यह तनकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी सिद्ध होती है।

2– तनकी नं–2

___यह तनकी प्रतिवादी सरकारी पेरोकार को सिद्ध करनी है यह नामानतरण संख्या 496 रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा सिद्ध होती है। सरकार पेरोकार तहसीलदार ने अपने जवाब के विशेष कथन में बताया है। अर्थात उनके द्वारा बताया गया कि यह गोदनामा रजिस्टर्ड होने व इसी गोदनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 496 खोला गया जिससे जोधा मुतबन्ना चुन्नीलाल का नाम जमाबंदी में दर्ज हु आ। यह तनकी सिद्ध होत ी है। अर्थात तहसीलदार भूमिधारी की हैसियत से दस्तावेज प्रमाण के अधार पर बताया जोधा के गोदनामा प्रमाणित होने पर यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

इस प्रकार वाद वादी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मोजा केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा के खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 133 किता 1 रकबा 0.02 हे0 व खाता संख्या 117 में अंकित आराजी संख्या 137, 138, 139, 140, 141 कुल किता 5 रकबा 1.1400 हे0 एवं ग्राम देवलच्छ पटवार हल्का केरपुरा कि खाता संख्या 166 में अंकित आराजी संख्या 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250 किता 12 रकबा 3.8600 हे0 भूमि में जहां–जहां वादीगण के परिवार के साथ जोधा पिता देवा का नाम आया है उसे निरस्त किये जाने की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे मोजा केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा के खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 133 किता 1 रकबा 0.02 हे0 व खाता संख्या 117 में अंकित आराजी संख्या 137, 138, 139, 140, 141 कुल किता 5 रकबा 1.1400 हे0 एवं ग्राम देवलच्छ पटवार हल्का केरपुरा कि खाता संख्या 166 में अंकित आराजी संख्या 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250 किता 12 रकबा 3.8600 हे0 भूमि मे से जोधा पिता देवा का नाम हटाये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

6/11/19

(मोहम्मद सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ (मेवाड़) चित्तोड़गढ राज.

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
(पीठासीन अधिकारी– रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

दावा संख्या 08/2015

1. जगन्नाथ पिता देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
2. बेणा पिता देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
3. हरकुबाई बेवा हजारी जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
4. मांगीलाल पिता हजारी जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
5. रामचन्द्र पिता हजारी जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
6. रामपाल पिता कालू जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
7. सुशीला पुत्री कालू जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
8. प्रेमबाई पत्नी कालू जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
9. नानीबाई पुत्री देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
10. फेफीबाई पुत्री देवाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ

.....वादीगण

बनाम

1. जोधा मुतबन्ना (गोदपुत्र) चुन्नीलाल जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगूँ
2. मुस्मात जेतीबाई बेवा चुन्नीलाल जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
3. श्यामलाल पिता अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
4. प्रभुलाल पिता अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
5. मुस्मात दाखी बेवा अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
6. मुस्मात डालीबाई पुत्री अमरा जी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
7. प्यारचन्द पिता कानाजी बलाई निवासी केरपुरा तहसील बेगू
8. तहसीलदार भूमिधारी जी तहसील बेगूँ
9. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान् कलेक्टर सा0 जिला चित्तौड़गढ

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अभिभाषक श्री फरीद मो0 मिर्जा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण कि ओर से आई.एम. अजमेरी की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आज दिनांक 06.11.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मोजा केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा के खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 133 किता 1 रकबा 0.02 हे0 व खाता संख्या 117 में अंकित आराजी संख्या 137, 138, 139, 140, 141 कुल किता 5 रकबा 1.1400 हे0 एवं ग्राम देवलच्छ पटवार हल्का केरपुरा कि खाता संख्या 166 में अंकित आराजी संख्या 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250 किता 12 रकबा 3.8600 हे0 भूमि में जहां–जहां वादीगण के परिवार के साथ जोधा पिता देवा का नाम आया है उसे निरस्त किये जाने की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे मोजा केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा के खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 133 किता 1 रकबा 0.02 हे0 व खाता संख्या 117 में अंकित आराजी संख्या 137, 138, 139, 140, 141 कुल किता 5 रकबा 1.1400 हे0 एवं ग्राम देवलच्छ पटवार हल्का केरपुरा कि खाता संख्या 166 में अंकित आराजी संख्या 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250 किता 12 रकबा 3.8600 हे0 भूमि मे से जोधा पिता देवा का नाम हटाये जाने की कार्यवाही करें।

अंतिम डिक्री की जाकर आज दिनांक 06/11/2019 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी की गयी।

6/11/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भेजी जाती है।

Scanned by CamScanner